न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 03/2020

1. जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल.बी.एस. कॉलेज के सामने, तिलक नगर जयपुर, राज0 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री यादवेन्द्र सिंह।

प्रार्थी

बनाम

1. इंतजार कुरेशी उर्फ इंतजार खान पुत्र समसुदीन कुरेशी पता— 610, मामू कॉलोनी, महवा, तहसील—महवा,जिला दौसा, राजस्थान—321608।
2. इमामी पुत्र फकीरा पता—60, नई कॉलोनी महवा तहसील—महवा, जिला दौसा, राजस्थान—321608।
   दूसरा पता— वार्ड नं0 28, महवा मण्डावर सिंह, तहसील—महवा, जिला दौसा, राजस्थान—321608।
3. मुस्ताक खान पुत्र रशीद खान पता—1795, वार्ड नं0 25, ताकिया मोहल्ला, महवा जिला दौसा राजस्थान —321608।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम— 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थिति : श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश दिनांकः 14.10.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड ने अप्रार्थी/ऋणी इंतजार कुरेशी उर्फ इंतजार खान पुत्र समसुदीन कुरेशी पता— 610, मामू कॉलोनी, महवा, तहसील—महवा, जिला दौसा, राजस्थान—321608 को 4,00,000/—(रूपये चार लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा कम्पनी का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी द्वारा अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने से उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को रजिस्टर्ड एवं जरिये समाचार पत्र नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी इंतजार कुरेशी उर्फ इंतजार खान पुत्र समसुदीन कुरेशी की बंधक रखी गई संपत्ति पट्टा नं0 127 ग्राम पंचायत महवा, पंचायत समिति महवा जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 838 वर्गफीट है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत महवा, पंचायत समिति महवा जिला दौसा राजस्थान द्वारा दिनांक 18.09.2002 को जारी किया गया है। जिसकी चतुर्सीमाएं पूर्व मे सलाम का मकान, पश्चिम मे शारूक का मकान, उत्तर मे आम रास्ता, दक्षिण मे सिकन्दर का मकान है। उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी कम्पनी जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लिमिटेड को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो। आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official